



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 870

23 Kartik, 1938 (S)

Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 2017

NOTIFICATION No-44/2017 State Tax (Rate)

S.O. No. 124- Dated -14th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand (Department of Commercial Taxes), No.5/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, *vide* S.O No-35, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for Sl. No. 6A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

“6A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
6B	5801	Corduroy fabrics
6C	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)”.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]

By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner

Note: - The principal notification No 5/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, *vide* S.O No-35, dated the 29th June, 2017 and last amended by Notification No. 29/2017-State Tax(Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, *vide* S.O No- 93 , dated the 13th October, 2017.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

अधिसूचना सं०. 44/2017- राज्य कर (दर)

एस. ओ. - 124 - दिनांक 14 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद् द्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग, की अधिसूचना संख्या 5/2017, राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017, जिसे एस. ओ. 35 दिनांक 29 जून 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉर्डरॉय फेब्रिक
6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं. 5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (क्सबोल्ड)“।

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं. .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट: प्रधान अधिसूचना सं० 5/2017 - राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. 35 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2017 राज्य कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, एस. ओ. 93 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।